हरियाणा में जल्द भरे जाएंगे आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों के 7600 से अधिक रिक्त पद

- सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया तेज कर 50 फीसदी तक बढ़ाया कोटा

सवेरा ब्यूरो/नवनीत शर्मा

चंडीगढ़, 26 अगस्त : हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों और हैल्परों के हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अतारांकित सवाल के जवाब में बताया कि राज्य सरकार एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिसमें रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता में है। विधानसभा में झज्जर विधायक गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 25962 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए 25962 आंगनवाड़ी वर्करों और 25450 आंगनवाड़ी हैल्परों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से अभी तक 23106 वर्कर और 20641 हैल्पर कार्यरत हैं। मंत्री ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने दोतरफा रणनीति अपनाई है। सबसे पहले कार्यरत आंगनवाड़ी हैल्परों को वर्करों के पद पर पदोन्नति के माध्यम से रिक्तियां भरी जा रही हैं। इसके तहत पदोन्नति कोटा 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। जिससे अनुभवी हैल्परों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा और केंद्रों का नेतृत्व जमीनी अनुभव रखने वाले लोगों के हाथ में रहेगा। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष रिक्त पदों को भी प्राथमिकता से भरा जाएगा। इस पहल से न केवल आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है बल्कि राज्य के लाखों बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल सेवाएं भी मिल सकेंगी।

अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 12वीं और सहायिका 10वीं पास होंगी

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाएगी। अब कार्यकर्ता के लिए 12वीं व सहायिका के लिए 10वीं पास अनिवार्य किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है।

हरियाणा में खाली पद

पद	कुल	रिक्त
कार्यकर्ता	25,962	2,638
सहायिका	25,450	4,545

अब कभी भी इसे संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अभी तक कार्यकर्ता के लिए 10वीं और सहायिका के लिए 5वीं कक्षा पास शैक्षणिक योग्यता थी। शेष | पेज 5 पर

From:

Director General
Department of Women and Child Development, Haryana
Bays No. 15-20, Sector 4, Panchkula

To:

1. All Additional Deputy Commissioners, Haryana
2. All District Programme Officers in Haryana
3. All Women & Child Development Project officers in Haryana

No. 13/36-328 Date: 18/07/2025

Subject: **Revised Instructions for Selection, Recruitment and Retirement Guidelines for Anganwadi workers and Helpers and, Promotion of Anganwadi Helpers.**

Reference:

1. Letter No. 19266-422/CD-3/WCD/2008 dated 12.06.2008
2. Memo No. 824-865/CD-3/PA/WCD/2010 dated 1.08.2010
3. Ministry of Women & Child Development, Govt. of India guidelines under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, Letter No. 11/4/2021-CD-1 (e-95706) dated 01.08.2022

In consonance with the Ministry of Women & Child Development, Govt. of India guidelines under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 issued vide Letter No. 11/4/2021-CD-1 (e-95706) dated 01.08.2022, instructions issued by the department through Letter No. 19266-422/CD-3/WCD/2008 dated 12.06.2008,MemoNo. 824-865/CD-3/PA/WCD/2010 dated 22.08.2010 and other instructions issued by the department from time to time has been reviewed and, revised instructions for the selection, recruitment, promotion of Anganwadi Helpers on the post of Anganwadi workers and retirement of Anganwadi workers and Helpers are as under for the meticulously followed by districts and field offices:

A. ForAnganwadi workers:

1 Educational Qualifications:The minimum qualification is 12th pass.

2 Age Criteria: Candidates aged between 18 to 42 years are eligible.

3 Age relaxation up to 45 years for widow/ divorcee/ deserted or a woman whose husband has been awarded life imprisonment or a woman whose husband is handicapped 70% and above (Certificate of handicap issued by any of the Chief Medical Officer in Haryana state)

4 For widow, death certificate of her husband, an affidavit declaring she has not entered in remarriage or karepa along with a certificate issued by Sarpanch and countersigned by Block Development &Panchayat Officer of the concerned block in which she is living for rural areas and for urban area such certificate will be issued by Ward member/ President of the Municipal Committee